

अनुमोदित
नमो
११/१२/१६

पत्रांक:- 04/NULM- 65 /2016/..... 2785

273

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना/भागलपुर/पूर्णिया/कटिहार/बेगुसराय/मुंगेर/मुजफ्फरपुर/
दरभंगा/आरा/ गया एवं बिहारशरीफ ।

पटना, दिनांक: 7/12/16

विषय:- चिन्हित शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को Vending Zone में बसाने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 2659 दिनांक- 02.12.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उपान्त में उद्धृत पत्रों का स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक Support to Urban Street Vendors (SUSV) के अधीन नगरीय फुटपाथ विक्रय योजना (City Street Vending Plan) तैयार कर फुटपाथ विक्रेताओं को विक्रय स्थल उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश निर्गत है। शहरी क्षेत्रों में प्रायः यह देखा जा रहा है कि, फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा सड़कों का अतिक्रमण कर विक्रय कार्य किया जाता है जिससे यातायात में परेशानी होती है तथा सड़कों पर जगह-जगह कूड़े के ढेर जमा हो जाते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद भी दायर किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, संपूर्ण देश में फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2014 लागू है और इस अधिनियम की धारा- (3) से (11) के आलोक में नगरीय फुटपाथ विक्रय योजना (City Street Vending Plan) तैयार कर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए पथ विक्रय विनियमन (Regulation of Street Vending) का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन स्थापित किया जाय।

पत्रांक-4332
दिनांक-03.10.15
पत्रांक-4946
दिनांक-11.12.15
पत्रांक- 5021
दिनांक-16.12.15
पत्रांक- 5043
दिनांक-17.12.15
पत्रांक-167
दिनांक-28.01.16
पत्रांक-2376
दिनांक-26.10.16

अतः अनुरोध है कि नगरीय फुटपाथ विक्रय योजना (City Street Vending Plan) एवं वेंडिंग जोन के निर्माण का प्रस्ताव नगर विक्रय समिति (Town Vending Committee) से पारित कराकर यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

6/12/2016
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-

2785

दिनांक-

7/12/16

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित महापौर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने-स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6/12/2016
प्रधान सचिव

W-32